भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

**लोक सभा**

लिखित प्रश्न सं. †4961

सोमवार, 23 मार्च, 2026/02 चैत्र, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

**प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा और स्वच्छता**

**†4961. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन:**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी समस्याओं की पहचान की है;

(ख) सरकार द्वारा पर्यटक पुलिसिंग, शिकायत निवारण और स्वच्छता अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुरक्षा और साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय, स्थानीय निकायों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच कोई समन्वय तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जागरूकता अभियानों, डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणालियों और होटलों, गाइडों और परिवहन ऑपरेटरों के लिए सख्त विनियामक अनुपालन के माध्यम से "सुरक्षित और स्वच्छ पर्यटन" को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (घ): पर्यटकों की सुरक्षा और हिफाज़त मुख्य रूप से राज्य का विषय है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों के लिए जमीनी सुरक्षा तंत्र को मज़बूत करने हेतु समर्पित पर्यटन पुलिस की स्थापना संबंधी मामले को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के साथ लगातार उठाता रहा है। पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने पर्यटक पुलिस की तैनाती की है।

पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन विभागों सहित सभी हितधारकों के साथ 'सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन की आचार संहिता' को अपनाया है, जो पर्यटकों और स्थानीय निवासियों दोनों को, विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों को शोषण से मुक्ति, सुरक्षा एवं सम्मान जैसे मुलभूत अधिकारों के साथ की जाने वाली पर्यटन संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देशों का एक संग्रह है।

पर्यटन मंत्रालय केंद्रीयकृत जन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) पोर्टल के माध्यम से सेवा की आपूर्ति में कमी, धोखाधड़ी आदि से संबंधित शिकायतें/सुझाव प्राप्त करता है। सीपीग्राम्स पोर्टल नागरिकों के लिए 24x7 उपलब्ध है, जहां वे पर्यटन से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। विदेशी पर्यटक भी भारत में पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन उद्योग जगत के तीन प्रमुख हिस्सों अर्थात् टूर ऑपरेटर, आवास और समुद्र/नदी तट, बैकवाटर, झीलों तथा नदी वाले क्षेत्रों हेतु भारत के लिए एक व्यापक स्थायी पर्यटन मानदंड (एसटीसीआई) शुरू किया है। इन मानदंडों को हितधारकों ने अंगीकृत कर लिया है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पर्यटन सेवा प्रदाताओं को "सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन और स्थायी पर्यटन" के प्रति प्रतिबद्धता की शपथ पर हस्ताक्षर करने होंगे, ताकि वे सर्वोत्तम पर्यावरण और विरासत संरक्षण मानकों के अनुरूप स्थायी पर्यटन प्रथाओं को पूरी तरह से लागू कर सकें, जिससे वर्तमान पर्यटन संसाधनों की आवश्यकताएँ स्थानीय समुदाय के लाभ और भविष्य के सतत उपयोग दोनों को अधिकतम कर सकें। मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्थायी पर्यटन कार्यनीति तैयार कर राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को परिचालित की गई थी। इस कार्यनीति के अनुरूप, पर्यटकों और पर्यटन व्यवसायियों को स्थायी पर्यटन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ट्रैवल फॉर लाइफ (टीएफएल) कार्यक्रम शुरू किया गया था।

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से वर्ष 2023-24 के दौरान पांच रामसर स्थलों [सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान (हरियाणा), यशवंत सागर बांध और सिरपुर झील, इंदौर (मध्य प्रदेश), भीतर्कनिका मैंग्रोव और चिल्का झील (ओडिशा)] में 210 व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम (एएलपी) और पर्यावरण नाविक प्रमाणपत्र (पीएनसी) पर 15-15 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। दोनों मंत्रालयों के इस समन्वय का उद्देश्य स्थानीय सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए रामसर स्थलों पर प्रकृति पर्यटन के विकास में सहयोग करना है।

पर्यटन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, होटलों को परियोजना चरण में ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), वर्षा जल संचयन प्रणाली, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, प्रदूषण नियंत्रण, प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग के लिए गैर-क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) उपकरणों का उपयोग, ऊर्जा और जल संरक्षण के उपाय आदि जैसे विभिन्न पर्यावरण-अनुकूल उपाय अपनाने होंगे। स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के नाम से नया रूप दिया गया है, जिसका उद्देश्य राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और स्थानीय निकायों के साथ साझेदारी में पर्यटन स्थलों का एकीकृत विकास करना और देश में स्थायी तथा उत्तरदायी पर्यटन को बढ़ावा देना है। "चुनौती आधारित गंतव्य विकास"- स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत एक उप-योजना का उद्देश्य सम्पूर्ण पर्यटन मूल्य श्रृंखला में पर्यटक अनुभव को बेहतर बनाने हेतु गंतव्य का समग्र विकास करना है, ताकि हमारे पर्यटन स्थलों को स्थायी और उत्तरदायी गंतव्यों में परिवर्तित किया जा सके।

*****